मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.214

18.07.2022 को उत्तर के लिए

पैकेजिंग उद्योग में प्लास्टिक का उपयोग

214. श्री विनायक भाऊराव राऊत :

प्रो. सौगत राय :

श्री ओम पवन राजेनिंबालकर :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है और यदि हां, तो महाराष्ट्र सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि कोरोना वायरस के कारण सिंगल यूज प्लास्टिक पर निर्भरता बढ़ गई है;

(ग) सरकार द्वारा राष्ट्र को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्पों की भारी कमी और अनुपलब्धता पर ध्यान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) वैकल्पिक वस्तुओं की वहनीय कीमत पर पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) सरकार द्वारा पर्यावरण क्षरण को रोकने के लिए पैकेजिंग उद्योग में प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं या किए जाने का विचार है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) मंत्रालय ने निम्नलिखित पहचानी गई सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं, जिसमें कम उपयोगी एवं अधिक कूड़ा फैलाने वाली वस्तुएं सम्मिलित हैं, को प्रतिबंधित करते हुए दिनांक 12 अगस्त, 2021 को सा.का.नि. संख्या 571(अ) द्वारा 01 जुलाई, 2022 से प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 अधिसूचित किया है। इसके अलावा, यथासंशोधित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अतिरिक्त चौंतीस राज्यों/संघ राज्यों ने प्लास्टिक की

थैलियों या पहचानी गई सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं पर पूर्ण या आंशिक प्रतिबंध के संबंध में विनियम स्पष्ट करने के लिए अधिसूचना/आदेश जारी किये हैं। विवरण **अनुबंध** में दिए गए हैं।

(ख) सरकार ने कोविड 19 को फैलने से रोकने के लिए समय-समय पर रोकथाम के उपायों पर दिशानिर्देश/मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) जारी की हैं। इन दिशानिर्देशों/एसओपी में अन्य बातों के साथ-साथ व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण और मुखावरण/मास्क का उपयोग शामिल है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ''कोविड 19 के रोगियों के उपचार/निदान/संगरोध के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट के हथालन, प्रशोधन और निपटान के लिए दिशानिर्देश'' जारी किये हैं, जिनमें अपशिष्ट मास्क और दस्तानों सहित व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण का निपटान शामिल है।

(ग) सभी छत्तीस राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों ने संगल यूज प्लास्टिक के उन्मूलन और पीडब्ल्यूएमआर, 2016 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मुख्य सचिव/प्रशासक की अध्यक्षता के अधीन विशिष्ट कार्य बल का गठन किया है। मंत्रालय ने इस संबंध में एक राष्ट्रीय स्तर के कार्यबल का भी गठन किया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों से भी एक व्यापक कार्य-योजना के विकास करने और समयबद्ध तरीके से इसके क्रियान्वयन का अनुरोध किया गया है। भारत सरकार द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 विशेष रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक के उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करता है।

(घ) और (ङ) सिंगल यूज प्लास्टिक के उन्मूलन के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की समग्र कार्य योजना में मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं के स्थान पर अन्य विकल्प अपनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उन्नयन करने, जागरूकता उत्पन्न करने, विपणन में सर्मथन प्रदान करने, अवसंरचना सर्मथन प्रदान करने के संबंध में एमएसएमई ईकाइयों को सर्मथन देना शामिल है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भी, उनसे साझा किए गए समग्र कार्य योजना के टैंप्लेट के भाग के रूप में, संवर्धन विकल्पों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए कहा गया है।

(च) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2022 द्वारा 16 फरवरी, 2022 को प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तृत उत्पादक उत्तरदायित्व पर दिशानिर्देश भी अधिसूचित किए गए हैं। ठोस प्लास्टिक पैकेजिंग के पुन: उपयोग, प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के पुन:र्चक्रण के न्यूनतम स्तर और प्लास्टिक पैकेजिंग में पुर्नचक्रित प्लास्टिक सामग्री के उपयोग के लिए अधिदेशित लक्ष्यों का निर्धारण, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा और प्लास्टिक पैकेजिंग के प्लास्टिक फुटप्रिंट को कम करेगा जिससे पर्यावरणीय अवक्रमण रूकेगा।

****

<u>अनुबंध</u>

<u>सिंगल यूज़ प्लास्टिक उत्पादों के विनिर्माण, उपयोग, बिक्री आयात और हथालन पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना</u>

(एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध डाटा के आधार पर)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**पूर्ण या आंशिक प्रतिबंध**	**गजट या कार्यकारी आदेश की तारीख**	**टिप्पणी**
1.	**अंडमान और निकोबार द्वीप समूह**	पूर्ण प्रतिबंध	02.08.2010 **(गजट)**	प्लास्टिक कैरी बैगों के विनिर्माण, भण्डारण, आयात, वितरण, परिवहन, पुनश्चक्रण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध।
2.	आंध्र प्रदेश	प्रतिबंधित नहीं	उपलब्ध नहीं	प्रतिबंधित नहीं है।
3.	**अरुणाचल प्रदेश**	पूर्ण प्रतिबंध	03.07.2012 **(कार्यकारी आदेश)**	पॉलिथीन/प्लास्टिक कैरी बैगों के विनिर्माण, भण्डारण, आयात, परिवहन, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध।
4.	**असम**	पूर्ण प्रतिबंध	30.04.2019 **(गजट)**	प्लास्टिक कैरी बैगों, बैनरों, ध्वजपटों, कपों, क्लिंग फिल्मों, फ्लेक्स, झंडों, प्लेटों, शीटों (मोटाई को ध्यान में रखे बिना डाइनिंग टेबल पर फैलने के लिए प्रयुक्त), प्लास्टिक माइक्रो बीड्स का इस्तेमाल करने वाले थर्मोकोल और प्लास्टिक से बने सामानों पर पूर्ण प्रतिबंध।
5.	**बिहार**	पूर्ण प्रतिबंध	11.12.2018 **(गजट)**	प्लास्टिक कैरी बैगों के विनिर्माण, भण्डारण, आयात, परिवहन, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध।
6.	**चंडीगढ़**	पूर्ण प्रतिबंध	30.07.2008 **(गजट)**	प्लास्टिक कैरी बैगों के विनिर्माण, भंडारण, आयात, बिक्री, उपयोग, परिवहन और निपटान पर पूर्ण प्रतिबंध।
7.	**छत्तीसगढ़**	पूर्ण प्रतिबंध	24.12.2014 **(गजट)**	पॉलिथीन/प्लास्टिक कैरी बैगों के विनिर्माण, भण्डारण, आयात, परिवहन, पुनश्चक्रण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध।
8.	**दमन दीव और दादरा नगर हवेली**	पूर्ण प्रतिबंध	24.01.2014 और 22.09.2017 **(गजट)**	सभी प्रकार के प्लास्टिक बैगों के उपयोग, बिक्री/भंडारण का निषेध।
9.	**दिल्ली**	पूर्ण प्रतिबंध	23.10.2012 **(गजट)**	प्लास्टिक उत्पादों (पॉली प्रोपलीन, गैर-बुने हुए कपड़े टाइप कैरी बैगों), प्लास्टिक फिल्म या पत्रिका, आमंत्रण/ग्रीटिंग कार्ड सहित किसी भी पुस्तक को पैक या कवर करने के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक फिल्म या प्लास्टिक ट्यूब के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध।

10.	गोवा	**आंशिक प्रतिबंध**	16.03.2015	सरकार ने चोरला घाट क्षेत्र मण्डी वन्यजीव अभयारण्य में प्लास्टिक (कैरी बैगों, कपों, कांटों, कागज की प्लेटों, चम्मचों) के विनिर्माण, भण्डारण, आयात, परिवहन, पुनश्चक्रण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया।
11.	गुजरात	**आंशिक प्रतिबंध**	28.06.2011 **(गजट)**	गांधी नगर में प्लास्टिक उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध
12.	**हरियाणा**	पूर्ण प्रतिबंध	20.08.2013 **(गजट)**	प्लास्टिक (कैरी बैगों, कपों, कांटों, पेपर प्लेटों, तीलियों, चम्मचों और खाद्य पदार्थों के उपयोग के लिए कंटेनरों) के विनिर्माण, भण्डारण, आयात, परिवहन, पुनश्चक्रण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध।
13.	**हिमाचल प्रदेश**	पूर्ण प्रतिबंध	07.07.2009 और 13.08.2009 **(गजट)**	कैरी बैगों (आकार की परवाह किए बिना), पॉलीथिन, गैर - बायोडिग्रेडेबल सामग्री, डिस्पोजेबल प्लास्टिक के कपों, प्लेटों और ग्लासों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध।
14.	जम्मू और कश्मीर	पूर्ण प्रतिबंध	03.01.2017 (एसआरओ 45 आदेश-अधिसूचना) जम्मू के जिलाधिकारी ने 01.10.2020 को एसआरओ 45 अधिसूचना को सख्ती से लागू करने का आदेश जारी किया।	जम्मू और कश्मीर राज्य की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर पॉलीथीन कैरी बैगों, प्लास्टिक शीट या ऐसी अन्य वस्तु, प्लास्टिक शीट से बने कवर, प्लास्टिक पैकेजिंग और पचास माइक्रोन से कम मोटाई वाले मल्टीलेयर पैकेजिंग के विनिर्माण, भण्डारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध।
15.	**झारखंड**	पूर्ण प्रतिबंध	17.10.2017 **(गजट)**	पूरे राज्य में प्लास्टिक कैरी बैगों के विनिर्माण, आयात, भंडारण, परिवहन, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध।
16.	**कर्नाटक**	पूर्ण प्रतिबंध	11.03.2016 **(गजट)**	राज्य सरकार ने पूरे राज्य में प्लास्टिक बैनरों, ध्वजपटों, कैरी बैगों (प्लास्टिक और कम्पोस्ट योग्य), कपों, क्लिंग फिल्मों, फ्लेक्स, झंडों, प्लेटों, चम्मचों और प्लास्टिक या थर्मोकोल और माईक्रोबीडों से बने शीटों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया।
17.	केरल	01.01.2020 **(कार्यकारी आदेश)**	22.11.2010 **(कार्यकारी आदेश)**	प्लास्टिक कैरी बैगों (मोटाई को ध्यान में रखे बिना), प्लास्टिक की शीटों (टेबल पर बिछाने के लिए प्रयुक्त); प्लेटों, कपों और थर्मोकोल/ स्ट्रायरोफोम से बनी सजावटी सामग्री; कपों, प्लेटों, थालियों, चम्मचों, कांटों, तीलियों, स्टरर जैसे एसयूपी आइटम; प्लास्टिक लेपित कागज कप, प्लास्टिक लेपित कागज प्लेट, प्लास्टिक लेपित कागज के कटोरे, प्लास्टिक

				लेपित कागज के बैगों; गैर-बुने बैगों, प्लास्टिक के झंडे, प्लास्टिक के ध्वजपटों; पानी के लिए प्लास्टिक पाउच, बिना ब्रांड वाले प्लास्टिक जूस पैकेट; प्लास्टिक जूस पैकेट; 500 मिलीलीटर से कम क्षमता के पीने के पानी की पीईटी/पीईटीई बोतलें; कचरा बैगों (प्लास्टिक); पीवीसी फ्लेक्स सामग्री और प्लास्टिक के पैकेट के विनिर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध।
18.	लद्दाख	**आंशिक प्रतिबंध**	**(वर्ष 2020 की आदेश सं.-40-एलए (जीएडी) दिनांक 23.06.2020)**	सरकारी कार्यालयों और अन्य संस्थानों में प्लास्टिक की पानी की बोतलों और अन्य प्लास्टिक से बनी वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध।
19.	**लक्षद्वीप**	पूर्ण प्रतिबंध	दिनांक 25.01.2019 **(राजपत्र)**	सभी प्रकार की मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग, प्लास्टिक कोटेड कैरी बैग, प्लास्टिक के झंडे, रैपिंग के लिए उपयोग की जाने वाली प्लास्टिक की शीटें/फिल्में, डाइनिंग टेबल कवर के रूप में प्रयुक्त प्लास्टिक की शीट, थर्मोकोल कप और प्लेट, प्लास्टिक कोटेड पेपर कप और प्लेट, प्लास्टिक के चाय कप, प्लास्टिक गिलास, पानी के पाउच/पैकेट/पीईटी प्लास्टिक की पानी की बोतलें, स्ट्रॉ के उपयोग, भण्डारण और विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध।
20.	**मध्य प्रदेश**	पूर्ण प्रतिबंध	दिनांक 24-05-2017 **(राजपत्र)**	प्लास्टिक कैरी बैगों का उत्पादन, भंडारण, ढुलाई, विक्रय और उपयोग।
21.	**महाराष्ट्र**	पूर्ण प्रतिबंध	दिनांक 23-03-2018 **(राजपत्र)** संशोधन 11 अप्रैल, 2018	पूरे राज्य में प्लास्टिक और कम्पोस्ट योग्य बैगों और प्लास्टिक और थर्मोकोल (पॉलीस्टीरीन) से निर्मित डिस्पोजेबल उत्पाद-डिस्पोजेबल डिश/चम्मच, कप, कटोरी, कंटेनर, फोर्क, प्लेट, गिलास, स्ट्रॉ, बिना बुने हुए पॉलीप्रोपाइलीन बैग, कप/पाउच के विनिर्माण, उपयोग, विक्रय, भंडारण, ढुलाई और वितरण, थोक और खुदरा, और आयात पर पूर्ण प्रतिबंध।
22.	मणिपुर	प्रतिबंधित नहीं	उपलब्ध नहीं है	प्रतिबंधित नहीं है।
23.	मेघालय	प्रतिबंधित नहीं	उपलब्ध नहीं है	प्रतिबंधित नहीं है।
24.	मिजोरम	प्रतिबंधित नहीं	उपलब्ध नहीं है	प्रतिबंधित नहीं है।
25.	**नगालैंड**	पूर्ण प्रतिबंध	01.01.2004 **(राजपत्र)**	प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग, भण्डारण और विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध।

26.	ओडिशा	**आंशिक प्रतिबंध**	29.09.2018 **(कार्यकारी आदेश)**	भुवनेश्वर, बरहामपुर, कटक, पुरी, राउरकेला और संबलपुर में प्लास्टिक कैरी बैग, बोतलबंद पेयजल, 200 मिलीलीटर से कम की क्षमता की पॉलिथिलीन टेरेफ्थेलेट की बोतलें; थर्मोकोल (पॉलीस्टीरिन), डिश/चम्मच, कप, कटोरी, कंटेनर, फोर्क, गिलास और प्लेट जैसे एसयूपी डिस्पोजेबल कटलरी के उपयोग और विक्रय पर प्रतिबंध।
27.	पुदुचेरी	पूर्ण प्रतिबंध	30.07.2019	(i) पॉलिथीन/प्लास्टिक/ पॉलीप्रोपाइलीन कैरी बैग (ii) पॉलिथीन/ प्लास्टिक/ स्टायरोफोम (थर्मोकोल कप); (iii) पॉलिथीन/प्लास्टिक/स्टायरोफोम (थर्मोकोल प्लेट) (iv) बने हुए खाने को लपेटने के लिए प्लास्टिक शीट पाउच का उपयोग (v) खाने की मेज पर बिछाने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्लास्टिक की शीट (vi) पानी के पाउच (vii) प्लास्टिक की स्ट्रॉ (viii) प्लास्टिक से बने झंडे
28.	**पंजाब**	पूर्ण प्रतिबंध	18.02.2016 **(राजपत्र)**	प्लास्टिक कैरी बैग के विनिर्माण, भण्डारण, वितरण, पुन:चक्रण, विक्रय और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध।
29.	**राजस्थान**	पूर्ण प्रतिबंध	01.08.2010 **(राजपत्र)**	प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग, भण्डारण और विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध।
30.	**सिक्किम**	पूर्ण प्रतिबंध	19.05.2016 **(राजपत्र)**	स्टायरोफोम से बने डिस्पोजेबल सामग्रियों (कप, प्लेट, चम्मच, कंटेनर, आदि) के विक्रय और उपयोग, भण्डारण पर पूर्ण प्रतिबंध।
31.	**तमिलनाडु**	पूर्ण प्रतिबंध	01.01.2019 **(राजपत्र)**	"एकल-उपयोग प्लास्टिक" अर्थात् प्लास्टिक कैरी बैग, झंडे, भोजन लपेटने के लिए प्रयुक्त शीटें, स्ट्रॉ, चाय के कप, गिलास, पानी के पैकेट और पाउचों के विनिर्माण, विक्रय, उपयोग, भंडारण, ढुलाई और वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध।
32.	तेलंगाना	प्रतिबंधित नहीं	उपलब्ध नहीं है	प्रतिबंधित नहीं है।
33.	**त्रिपुरा**	पूर्ण प्रतिबंध	10.03.2015 **(राजपत्र)**	प्लास्टिक कैरी बैग (पॉलीप्रोपाइलीन, बिना बुने हुए फैब्रिक के प्रकार सहित), पत्रिका और निमंत्रण/बधाई कार्ड सहित किसी भी पुस्तक को पैक करने या कवर करने के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक ट्यूब के विक्रय, उपयोग, भंडारण, ढुलाई और आयात पर पूर्ण प्रतिबंध।

34.	**उत्तर प्रदेश**	पूर्ण प्रतिबंध	22.12.2015 **(राजपत्र)**	प्लास्टिक कैरी बैग (पॉलीप्रोपाइलीन, बिना बुने हुए फैब्रिक के प्रकार सहित), पत्रिका और निमंत्रण/बधाई कार्ड सहित किसी भी पुस्तक को पैक करने या कवर करने के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक ट्यूब के विक्रय, उपयोग, भंडारण, ढुलाई और आयात पर पूर्ण प्रतिबंध।
35.	**उत्तराखंड**	पूर्ण प्रतिबंध	01.01.2017 **(राजपत्र)**	प्लास्टिक कैरी बैग के विक्रय, उपयोग, भंडारण और ढुलाई पर पूर्ण प्रतिबंध।
36.	पश्चिम बंगाल	**आंशिक प्रतिबंध**	**11.01.2018 (कार्यकारी आदेश)**	धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों पर पूरी तरह से प्रतिबंधित।

******